2½ पत्रावली प्रेमा अधि. उपखण्ड अधिकारी / वादी व
1 से 3 प्रति व. 1 व 2 लेख अधि. / वादिगण व
प्रतिवादीगण की ओर से अंकित 023 R1 CPC
आज राजीनामा होने पर वाद-पत्र वापिस करने का
पेश किया। अंकित इस आशय का पेश किया गया है कि
विवादित भूमि में 1/4 हिस्सा का खरीदार प्रतिवादी व.
2 रामदेव रहा है जिसने अपने अंश का 1/4 हिस्सा
की भूमि 0.5496 हैक्टेयर भूमि प्रति व.
1 प्रभाकर के पक्ष में विक्रय कर कब्जा दिया एवं उक्त
विक्रय की गई भूमि में से अपना कब्जा शून्य कर लिया। उक्त
1/4 हिस्सा का क्षेत्रफल 1.0492 हैक्टेयर होता है। उक्त 1.0492
हैक्टेयर भूमि प्रति व. 1 को विक्रय की गई 0.5496 हैक्टेयर भूमि
कम करने के पश्चात 0.5000 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 2
के हिस्से में है तथा वादीगण ने इस 1/4 हिस्सा की भूमि में
नौमनक हिस्सा का खरीदार प्राप्त करने के लिए विचाराधीन
वाद प्रस्तुत किया है परन्तु वर्तमान स्थिति में वादिगण
तथा प्रतिवादीगण में सहमति राजीनामा हो गया है जिस
कारण प्रतिवादी व. 2 द्वारा प्रतिवादी व. 1 को विक्रय की
गई भूमि पर आक्षेप नहीं करते हैं तथा प्रतिवादी संख्या
2 के पक्ष में हुए विक्रय पत्र को स्वीकार करते हैं। वादिगण ने
इस भूमि में बनने वाले नौमनक हिस्सा की प्रतिफल राशि
प्राप्ति होने पश्चात वाद वापिस करना कहा है एवं प्रतिवादी व.
2 द्वारा प्रतिवादी व. 1 को विक्रय की गई भूमि के विक्रय को
स्वीकार कर लिया है। वैसे भी कोरोना महामारी द्वारा
चिकित्सा एवं पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए
संयुक्त हिन्दू परिवार की भूमि का विक्रय किया जा रहा है।
अतः राजीनामा के अनुसार राशि प्राप्त नहीं होने पर
वादीगण पुनः वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र होंगे।

पक्षकारों द्वारा उक्त राजीनामा पेश कर वादकारी
को अच्छी तरह से बाकर निकेतन किया। वादिगण की पहचान
अधि. श्री गजराम तथा प्रतिवादी व. 1 की पहचान अधिवक्ता
प्रकाश चन्द द्वारा की गई। अतः वादकारिगण, कोर्ट, प्रस्तुत
राजीनामा के आधार पर तथा अधि. उपखण्ड की पहचान पर
प्रमाणित किया जाता है। पत्रावली कोर्ट अनुसार होकर नस्ती
एक अधि. दाखिल दफ्तर हो। विवाद आज से
समाप्त समझे।

आदेश अनुसार 23 नियम 3
प्रमाणित राजीनामा पर
वादपत्र खारिज करने
पर सहमत हूँ।
राधेश्याम

रामदेव

मनोज कुमार
(मुख्तार अधिवक्ता)
उपखण्ड अधिकारी
पहचानकर्ता
2-7-2025

सुमन

कमला

राधेश्याम
पहचानकर्ता

गजराम